इनिशियल पब्लिक ऑफर

हाल ही में सरकार के स्वामित्व वाले **भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)** ने [भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)](#) के पास अपनी मेगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के लिये **ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP)** दाखिल किया।

- सरकार, जिसके पास **LIC की 100% हिस्सेदारी** है, आईपीओ के माध्यम से अपनी 5% हिस्सेदारी बेचेगी। IPO से होने वाली सभी आय, जो बिक्री के लिये एक प्रस्ताव के रूप में है और कम-से-कम 60,000 करोड़ रुपए तक होने की उम्मीद है, से वित्त वर्ष 2022 के लिये सरकार के **विनिवेश लक्ष्य** को पूरा करने में मदद मिलेगी।
- LIC पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। भारत के बीमा कारोबार में इसकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है।

इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO):

- IPO एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके **तहत कोई निजी या सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी** जैसे कि LIC पूंजी जुटाने के लिये पहली बार सार्वजनिक तौर पर अपने शेयरों की बिक्री करती है।
  - IPO के बाद वह पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन जाती है। **स्टॉक एक्सचेंज शेयर**, स्टॉक और बॉण्ड जैसी प्रतिभूतियों की बिक्री एवं खरीद के लिये एक संगठित बाज़ार है।
  - एक सूचीबद्ध कंपनी एक **अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश (Follow-on Public Offering) या FPO** के माध्यम से भविष्य में वृद्धि और विस्तार के लिये शेयर पूंजी जुटा सकती है।
- IPO जारी करने के दौरान कंपनी को बाज़ार नियामक **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)** के पास अपना प्रस्ताव दस्तावेज़ दाखिल करना होता है।
  - ऑफर दस्तावेज़ में कंपनी, उसके प्रमोटर, उसकी परियोजनाओं, वित्तीय विवरण, धन जुटाने का उद्देश्य, जारी करने की शर्तें आदि के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी शामिल होती है।
  - **SEBI** वर्ष 1992 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

बिक्री हेतु प्रस्ताव:

- बिक्री हेतु प्रस्ताव पद्धति के तहत प्रतिभूतियों को सीधे जनता को जारी नहीं किया जाता है, बल्कि बिचौलियों जैसे- हाउसिंग या स्टॉक ब्रोकरों के माध्यम से जारी किया जाता है।
- इस संदर्भ में एक कंपनी दलालों को एक सहमत मूल्य पर प्रतिभूतियों को बेचती है, जो बदले में निवेश हेतु उनको पुनः जनता को बेचते हैं।

रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस का ड्राफ्ट:

- ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) एक कानूनी प्रारंभिक दस्तावेज़ है। यह आईपीओ-बाध्य कंपनी और उसके निवेशकों तथा हितधारकों के बीच एक महत्त्वपूर्ण संचार लिंक के रूप में कार्य करता है।

IPO में निवेश की अनुमति:

- [क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs)](#) निवेशकों की एक श्रेणी है जिसमें [विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPIs)](#), म्यूचुअल फंड, वाणिज्यिक बैंक, बीमा कंपनियाँ, पेंशन फंड आदि शामिल हैं।
  - QIBs वे संस्थागत निवेशक हैं जिन्हें आमतौर पर पूंजी बाज़ार में मूल्यांकन और निवेश हेतु विशेषज्ञता व वित्तीय क्षमता युक्त माना जाता है।
- वे व्यक्ति जो किसी इश्यू में **2 लाख रुपए तक निवेश** करते हैं, उन्हें खुदरा निवेशक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- 2 लाख रुपए से अधिक का निवेश करने वाले खुदरा निवेशकों को उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनियाँ जो आईपीओ जारी कर सकती हैं:

- निवेशकों की सुरक्षा के लिये **सेबी ने ऐसे नियम निर्धारित** किये हैं जिनके लिये कंपनियों को धन जुटाने हेतु जनता के पास जाने से पहले कुछ मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता होती है।
- अन्य शर्तों के अलावा कंपनी के पास पिछले पूर्ण तीन वर्षों में से प्रत्येक में कम-से-कम 3 करोड़ रुपए की शुद्ध संपत्ति और 1 करोड़ रुपए की शुद्ध संपत्ति होनी चाहिये तथा तत्काल पूर्ववर्ती पाँच वर्षों में से कम-से-कम तीन में इसका न्यूनतम औसत कर-पूर्व लाभ 15 करोड़ रुपए होना चाहिये।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/initial-public-offering